Mob.: 9918739584
09450232553

स्थापना वर्ष-1974

श्री भगवान महावीर पी.जी. कालेज

पावानगर (फाजिलनगर), कुशीनगर (उ.प्र.) पिन कोड-274001

Accredited 'B' By NAAC (UGC)

सम्बद्ध-दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

विवरणिका
2020–21

पमो अरिहंताणं पमो सिद्धाणं पमो आयरियणं।
पमो उवज्झायाण पमो लोए सब्वसाहणं ।।

कृपया इन विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और महाविद्यालय के नियमों, उपनियमों आदि को जान लें, महाविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को समुन्नत बनाना प्रत्येक छात्र/छात्रा का कर्त्तव्य है।

महाविद्यालय परिवार के मुख्य संरक्षक
एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष

मा. श्री राजेश पाण्डेय

पूर्व सांसद-कुशीनगर

श्री भगवान महावीर पी.जी.कालेज

पावानगर (फाजिलनगर) कुशीनगर (उ0 प्र0)

संक्षिप्त इतिहास

महाविद्यालय की स्थापना शैक्षिक सत्र 1974 में भगवान महावीर के 2500वीं निर्वाण शताब्दी समारोह के अवसर पर हुई। प्रारम्भ में महाविद्यालय को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रा0 इतिहास तथा समाज शास्त्र विषयों में मान्यता के साथ सम्बद्धता प्राप्त हुई । महाविद्यालय की स्थापना में राजमंगल पाण्डेय जी, जीउत सिंह, श्री रामप्रसाद श्रीवास्तव, ऋषिदेव तिवारी, के0 सी0 जैन (कसया), वागेश्वरी दयाल दीक्षित आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। राजमंगल पाण्डेय जी संस्था की स्थापना काल से 1993 तक अध्यक्ष रहे। 1993 से 1998 तक के. सी. जैन अध्यक्ष रहे। 1998 से 2014 तक श्री राजेश पाण्डेय जी अध्यक्ष थे। वर्तमान में श्री राजेश पाण्डेय, सांसद, कुशीनगर महाविद्यालय के अध्यक्ष एवं श्री शक्ति प्रकाश दीक्षित प्रबन्धक हैं। डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र इस महाविद्यालय के स्थायी प्राचार्य हैं।

उदेश्य-

इस महाविद्यालय का उद्देश्य भगवान महावीर की गरिमा एवं आदर्शों के अनुरूप ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो नवयुवकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा उनमें अनुसंधान तथा अधिगम की भावनाओं (Spirit) को विकसित कर देशभक्त उत्तम नागरिकों का निर्माण करें। जिससे एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके।

स्वीकृत पाठ्यक्रम (स्नातक स्तर)

कला वर्ग- त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि हेतु महाविद्यालय में आठ विषय हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास तथा भूगोल पढ़ाये जाते हैं। बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में नियमानुसार तीन विषयों का अध्ययन अपेक्षित है। बी.ए. प्रथम वर्ष में नियमानुसार तीन विषयों का अध्ययन अपेक्षित है । बी.ए प्रथम वर्ष में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से तीन विषयों का चयन करना होगा ।

प्रथम समूह	दितीय समूह	तृतीय समूह	चतुर्थ समूह
1. भूगोल	1. संस्कृत	1. राजनीति शास्त्र	1. समाज शास्त्र
या	या	या	या
2. शिक्षा शास्त्र	2. अंग्रेजी	2. प्राचीन इतिहास	2. हिन्दी

विशेष

बी.ए. भाग एक के समस्त छात्र/ छात्राओं को राष्ट्र गौरव की परीक्षा देना अनिवार्य हैं राष्ट्र गौरव में प्रथम वर्ष में अनुतीर्ण छात्र दूसरे /तीसरे वर्ष भी परीक्षा दे सकते है।

स्नातकोत्तर स्तर–

स्नातकोत्तर (एम.ए) स्तर पर अध्ययन के लिए स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में चार विषयों हिन्दी, समाज शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है। बी.ए. अन्तिम वर्ष में सम्बन्धित विषय का अध्ययन किया हो। एम.ए प्रथम वर्ष में प्रवेश कार्य मेरिट के आधाार पर किया जायेगा। स्नातकोत्तर स्तर पर शुल्क रू0 7000 है।

प्रतिबन्धित :–

इस महाविद्यालय से बी.ए. या एम.ए. किया हुआ छात्र / छात्रा का पुनः महाविद्यालय में बी.ए. उत्तीर्ण बी.ए. में अथवा एम.ए. उतीर्ण पुनः एम.ए. अन्य विषय में नामांकन नहीं किया जाएगा ।

प्रवेश के सामान्य नियम–

1. बी.ए प्रथम वर्ष सत्र 2020–21 में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश होगा। सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा होगी। 12 सीट खिलाड़ियों का किया जायेगा। खिलाड़ियों का मानक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक ही होगा । नियमित छात्र/छात्राओं की निर्धारित सीट पर वि. वि.द्वारा अथवा वि.वि. द्वारा दिए निर्देश पर होगा । अभ्यर्थी को नामांकन के समय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। कोरोना–19 महामारी के कारण छात्र/छात्राओं का प्रवेश सीधे होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सामाजिक दूरी बनाकर किया जायेगा । नामांकन कराने वाले अभ्यर्थी मास्क पहनकर महाविद्यालय आवें।
2. बी.ए. प्रथम वर्ष में वे ही अभ्यर्थी अर्ह माने जायेंगें जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2018 एवं 2019 तथा वर्तमान वर्ष 2020 में उत्तीर्ण किया है। हाई

स्कूल की परीक्षा वर्ष 2016 के पूर्व उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए।

3. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सामान्य जाति के वे ही अभ्यर्थी अर्ह माने जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा कम से कम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण किया हो। किसी भी प्रकार के वेटेज के आधार पर न्यूनतम योग्यता को पूर्ण नहीं किया जा सकता।

4. प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी को साक्षात्कार एवं मूल प्रमाण-पत्रों के मिलान के लिए प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।

5. महाविद्यालय के प्राचार्य के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कारण बताये किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त कर दें अथवा प्रवेश न दें तथा प्रवेश के नियमों में परिवर्तन/संशोधन कर दें।

6. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ छात्रवृत्ति फार्म, शुल्क क्षति पूर्ति फार्म एवं राष्ट्रीय सेवा योजना का फार्म दिया जा रहा है। समस्त फार्म भरकर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

7. नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. की मूल प्रति लाना अनिवार्य है।

8. महाविद्यालय द्वारा किया जाने वाला नामांकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

प्रवेश में आरक्षण के नियम–

बी.ए. प्रथम वर्ष महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश कार्य आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। जो निम्नलिखित है

1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	27 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति (एस.सी)	21 प्रतिशत
3.	अनुसूचित जनजाति (एस.टी.सी)	02 प्रतिशत
4.	खिलाड़ियों के लिए	02 प्रतिशत

5. महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र-पुत्री, अविवाहित बहन आदि।

6. महाविद्यालय प्रबंध समिति की संस्तुति पर नामांकन कराने वाले छात्र-छात्रा को महाविद्यालय को शपथ पत्र देना होगा।

नोट- आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो प्रवेश आवेदन पत्र के क्रमांक 01 में आरक्षित श्रेणी में उल्लेख करेंगे। यदि कोई प्रवेशार्थी आरक्षित

श्रेणी का और उसने अपने प्रवेश आवेदन पत्र में आरक्षित होने का उल्लेख नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त सीट सामान्य वर्ग से भरा जायेगा। **जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व के ही तिथि का मान्य होगा।**

नामांकन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र–

प्रत्येक प्रवेशार्थी को साक्षात्कार एवं प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा ।

1. हाई स्कूल अंकतालिका की मूल प्रति ।
2. हाई स्कूल सनद/प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ।
3. इण्टरमीडिएट अंकतालिका का मूल प्रति ।
4. इण्टरमीडिएट की टी0सी0 की मूल प्रति।
5. यदि आप दूसरे राज्य से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। तो माईग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति।
6. एम.ए भाग एक में नामांकन फार्म में हाई स्कूल, इण्टर, बी.ए के समस्त प्रमाण–पत्र की छाया प्रति लगाया अनिवार्य है।
7. अन्तिम संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र
8. यदि आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व का होना चाहिए।
9. यदि आप वर्ष 2020 के पूर्व इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हैं अंतराल अवधि का नोटरी/ शपथ प्रमाण पत्र।
10. कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा होने के पूर्व की तिथि का ही मान्य होगा।
11. सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नामांकन के समय देय होगा। आवेदन पत्र के साथ मात्र हाई स्कूल व इण्टमीडिएट के अंक पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना है अन्य अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं ।
12. प्रत्येक छात्र को अपना E-mail और फोन नं. एवं Whatsapp No. लिखना आवश्यक है। जिससे आप को सूचनायें दी जा सकें ।

महाविद्यालय में प्रवेश के अयोग्य अभ्यर्थी-

ध्यान दें, निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए योग्य/अर्ह नहीं माने जायेंगे।

1. वे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2014 के पूर्व उत्तीर्ण किये हैं और एक लम्बे अन्तराल के बाद इण्टरमीडिएट किये हैं।
2. वे अभ्यर्थी जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2016 के पूर्व उत्तीर्ण किये हैं।
3. वे अभ्यर्थी जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी संस्था में किसी भी तरह का अध्ययन किये हैं अथवा कर रहे हैं।
4. वे अभ्यर्थी जो किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़े गये हैं अथवा दण्डित किय गये हैं।
5. वे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपने देश के किसी भी न्यायालय में फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है अथवा न्यायलय से दण्डित किय गये हैं।
6. वे अभ्यर्थी जो किसी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की काली सूची में अंकित हैं।
7. वे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमानुसार तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं।
8. वे अभ्यर्थी जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
9. वे अभ्यर्थी जो इस महाविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में बी.ए प्रथम वर्ष में अध्ययन कर चुके हैं या अनुत्तीर्ण हो चुके हैं या अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़ लिये गये हैं।
10. वे अभ्यर्थी जो केवल प्रवेश कराना है एवं विश्वविद्यालयीय परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं किन्तु कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन नहीं करना चाहते हैं।

परिचय-पत्र एवं अन्य निर्देश-

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र-छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रवेश लेने के तत्काल बाद परिचय-पत्र प्राप्त कर लें। प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना परिचय-पत्र सदैव लेकर महाविद्यालय में आना चाहिए और महाविद्यालय के अधिकारियों के मांगने पर उसे प्रस्तुत करना चाहिए। परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय- पत्र शुल्क जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

नामांकन के बाद आप परिचय-पत्र तत्काल बनवा लें। नामांकन के बाद

राष्ट्रीय सेवा योजना का फार्म एवं छात्रवृति सम्बन्धी फार्म भी महाविद्यालय से प्राप्त करके यथाशीघ्र भर कर जमा कर दें।

उपस्थिति-

महाविद्यालय नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र/छात्रा की उपस्थिति कम होगी उन्हें विश्वविद्यालयीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी अतः छात्र/छात्रा का दायित्व है कि अपने विषय के प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहें।

नामांकन के समय आवश्यक प्रमाण-पत्र-

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र-छात्रा का नामांकन विश्वविद्यालय में होना आवश्यक है अतः प्रत्येक छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय में प्राप्त कर तथा उसे हर प्रकार पूर्ण करके निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न करने वाले छात्र-छात्रा को विलम्ब शुल्क जमा करके विश्वविद्यालय से नामांकन कराना होगा।

शुल्क अदायगी-

प्रत्येक छात्र/छात्रा से सम्पूर्ण शुल्क एक किश्त में नामांकन के समय ली जायेगी। प्रवेश के समय लिया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा, अन्य विषय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

काशनमनी-

कोई भी काशनमनी छात्र को महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष पश्चात दिसम्बर माह में आवेदन करने पर लौटा दिया जायेगा। दो अवधियों के भीतर आवेदन न करने पर वह महाविद्यालय कोष में जमा हो जायेगा।

परीक्षा आवेदन-पत्र-

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन-पत्र शुद्ध एवं पूर्ण रूपेण स्वयं भर कर कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रवेश रसीद तथा पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय-

महाविद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है। प्रवेश के पश्चात उपलब्धता के आधार पर छात्र/छात्रा को पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। सामान्यतया अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकों को क्षति पहुँचाने वाले विद्यार्थी दण्डित किये

जायेंगे। विषय पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परिर्वतन एवं छात्रों की संख्या की अधिकता और वित्तीय कठिनाईयों के कारण प्रत्येक छात्र को दो से अधिक पुस्तक उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

वाचनालय–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के सामान्य ज्ञान को अद्यतन रखने तथा उन्हें उनमें अपने समाज, देश और विश्व की समसामयिक परिस्थितियों की समझ विकसित करने के लिए एक वाचनालय की व्यवस्था है। जिसमें विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं इत्यादि उपलब्ध रहती है।

पत्रिका–

छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए महाविद्यालय द्वारा 'वर्द्धमान' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना–

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयां स्वीकृत हैं जिनके स्वयं सेवकों की संख्या तीन सौ है । इस योजना की सदस्यता की इच्छुक छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए।

क्रीड़ा परिषद–

महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में विभिन्न प्रकार के खेलकूद की सुविधा प्रदान की जाती हैं शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण करते समय खेलकूद में दक्षता प्राप्त छात्र/छात्राओं को वरीयता दी जाती हे। प्रति वर्ष माहविद्यालय का वार्षिक खेलकूद समारोह निर्धारित तिथि पर सम्पन्न होता है। इसी अवसर पर अन्तर महाविद्यालय एवं वार्षिक समारोह के विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र तथा आकर्षक पुरस्कार दिये जाते है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम–

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने हेतु नाटक, समूहगान प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता, लोकनृत्य वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध के विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

साइकिल स्टैण्ड–

महाविद्यालय में साइकिलों को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं के लिए अपनी साइकिल स्टैण्ड पर ताला बन्द कर

रखना अनिवार्य हैं साइकिल स्टैण्ड से बाहर परिसर में इधर-उधर साइकिल रखना अपराध है। साइकिल स्टैण्ड से बाहर साइकिल रखने पर यदि गायब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्राओं की होगी, महाविद्यालय की नहीं। यदि साइकिल बिना ताला बन्द किये रखी जाती है। और गायब हो जाती हैं तो उसका समस्त दायित्व छात्र का होगा।

अनुशासन समिति-

महाविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था के लिए एक अनुशासन समिति है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को जानना चाहिए कि अच्छा अनुशासन ही शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकता है और अच्छे अनुशासन द्वारा ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

अनुशासनिक नियम-

प्रत्येक छात्र/छात्रा को निम्नांकित बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए।

1. महाविद्यालय में हिंसा, अराजकता का कोई स्थान नहीं है।
2. किसी शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
3. जब कक्षएं चल रही हो तो बरामदों में भीड़ न लगायें या जोर-जोर से बातें न करें।
4. परिचय पत्र सदा अपने पास रखें।
5. छात्राओं के कामन रूम के सामने खड़े न हो।
6. साईकिल या मोटर साइकिल इधर-उधर न रखें।
7. महाविद्यालय के भीतर या बाहर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका या महाविद्यालय का नाम कलंकित हो।
8. महाविद्यालय की दीवारों को स्वच्छ रखें। उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा करें।
9. महाविद्यालय की दीवारों पर किसी प्रकार के लिखने, चिपकाने अथवा किसी प्रकार क. गन्दगी फैलाने का कार्य न करें।

उपर्युक्त नियम/नियमों की अवहेलना करने वाले छात्र के अपराध की प्रकृति तथा गुरूता के अनुरूप निम्नांकित प्रकार से उसे दण्डित किया जा सकता है।

(क) चेतावनी (ख) अर्थदण्ड

(ग) वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना।

शिक्षा सत्र के अन्तर्गत यदि छात्र/छात्रा का आचरण महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आगामी सत्र में उनका प्रवेश महाविद्यालय में नहीं दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद विद्यार्थियों से अपेक्षाएं-

1. कक्षाओं में शत प्रतिशत उपस्थित रहना।
2. नियमों का मन से पालन करते हुए श्रेष्ठ अनुशासन का प्रदर्शन करना।
3. व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए निरन्तर क्रियाशील रहना।
4. समाज एवं राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेना तथा भारतीय संस्कृति के आदर्शों को जीवन में अपनाना ।
5. भगवान महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, संत कबीर, बाबा राघव दास आदि महापुरूषों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेना ।
6. खेलकूद, वाद-विवाद, प्रश्न मंच व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेकर महाविद्यालय के पर्यावरण को समुन्नत बनाना ।

गणवेश (Uniform)

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय छात्राओं के लिए गुलाबी समीज, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा तथा मैरून स्वेटर (सर्दियों में) अनिवार्य हैं । छात्रों के लिए सफेद शर्ट, काला पैन्ट तथा नीला स्वेटर (सर्दियों में) अनिवार्य है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम-

सत्र 2009-10 से महाविद्यालय में चार व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

1. टूरिज्म
2. कम्प्यूटर अप्लीकेशन
3. फैशन डिजाइनिंग
4. इंगलिश स्पीकींग कोर्स

उपरोक्त स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित हैं।

अवधि- एक वर्ष (प्रत्येक पाठ्यक्रम)

योग्यता- महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी छात्र/छात्रा नामांकन करा सकता है।

शुल्क- रूपये 2400/- वार्षिक (न्यूनतम एक पाठ्यक्रम)

अध्ययन के उपरान्त छात्र/छात्रा को सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना है।

छात्र-संघ – महाविद्यालय में छात्र संघ का संचालन होता है। दी.द.उ.गो. वि.वि, गोरखपुर द्वारा चुनाव कराने के एक सप्ताह उपरान्त ही महाविद्यालय द्वारा चुनाव कराया जायेगा। यदि वि.वि. में चुनाव सम्पन्न नहीं होता है तो महाविद्यालय द्वारा नहीं कराया जायेगा ।

1. प्राय: छात्र जिस कक्षा में अध्ययन करते हैं उसमें चिकित्सा सम्बन्धी प्रामाण-पत्र लगाकर परीक्षा छोड़ देते हैं। पुन: उसी कक्षा में नामांकन करा लेते हैं। ऐसे छात्र/छात्रा, छात्र-संघ चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य माने जायेंगे।
2. छात्र संघ चुनाव में भाग लेने वाले छात्र/छात्रा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री पद के लिए जमानत राशि रू0 3,000/- (तीन हजार मात्र) एवं अन्य पदों के लिए रू0 2,000/- (दो हजार मात्र) है।
3. छात्र-संघ चुनाव में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने गृह थाना एवं महाविद्यालय थाना तुर्कपट्टी से यह प्रमाण-पत्र 20 अगस्त 2020 तक प्राप्त कर लें कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं है।
4. चुनाव उपरान्त जमानत राशि किसी भी प्रतिभागी छात्र/छात्रा की वापस नहीं की जायेगी।

बी0ए0 भाग एक में शुल्क–

अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य/पिछड़ी जाति

रूपये- 3161 (छात्र) रूपये- 3029 (छात्रा)

अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य/पिछड़ी जाति (प्रयोगात्मक)

रूपये- 3401(छात्र) रूपये- 3269 (छात्रा)

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा मान्य पाठ्यक्रम- जो महाविद्यालय में संचालित होता है-

1. **बी.ए.**-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, टेक्सटाईल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, उर्दू, दर्शन शास्त्र।
2. **बी.एस.सी** (बायो एवं मैथ) **(स्थगित)**
3. **एम.ए**-हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र ।

❖❖❖

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण

1.	श्री राजेश पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	श्री गणेश शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री शक्ति प्रकाश दीक्षित	मंत्री/प्रबन्धक
4.	श्री मथुरा प्रसाद शाही	संयुक्त मंत्री/उप प्रबन्धक
5.	श्री प्रभुनाथ मिश्र	कोषाध्यक्ष
6.	श्री विनयकान्त मिश्र	सदस्य
7.	श्री जितेन्द्र चौबे	सदस्य
8.	श्री पंचानन मिश्र	सदस्य
9.	डॉ महेन्द्र सिंह	सदस्य
10.	श्री अमला पाण्डेय	सदस्य
11.	श्री अशोक कुमार जैन	सदस्य
12.	श्री सुबाष चन्द्र सिंह 'महंथ'	सह-सदस्य
13.	श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय	सह-सदस्य

महाविद्यालय के शिक्षक

नाम	विभाग	पद	मो.नं.
1. डॉ. ओंकार नाथ मिश्र		प्राचार्य	9450232553
2. डॉ. राकेश प्रताप शाही	समाजशास्त्र	एसोसिएट प्रोफेसर	9838703395
3. डॉ. ज्योत्सना पाण्डेय	भूगोल	एसोसिएट प्रोफेसर	9793402832
4. डॉ. कृष्णचन्द्र चौरसिया	संस्कृत	एसोसिएट प्रोफेसर	9532697499
5. डॉ. रवीन्द्र नाथ तिवारी	शिक्षाशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	9838026181
6. डॉ. शत्रुघ्न सिंह	हिन्दी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
7. डॉ. महात्मा प्रणव कु0 चतुर्वेदी	प्राचीन इतिहास	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	9838957857
8. श्री शाश्वत चन्देल	समाजशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	9919278957

प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी

नाम	विभाग	पद	मो.नं.
1. डॉ प्रभाकर मिश्र	हिन्दी	प्राध्यापक	9628110111
2. डॉ गोपाल जी पाण्डेय	समाजशास्त्र	प्राध्यापक	9793132727
3. श्री उमेश कुमार	समाजशास्त्र	प्राध्यापक	7860119556
4. श्री श्रवण कुमार	समाजशास्त्र	प्राध्यापक	9628609732
5. डॉ गिरिजेश मिश्र	हिन्दी	प्राध्यापक	8874751015
6. डॉ शीला श्रीवास्तवा	हिन्दी	प्राध्यापक	9919029914
7. डॉ राहुल दूबे	अंग्रेजी	प्राध्यापक	9415414057
8. श्री विवेकानन्द	राजनीति शास्त्र	प्राध्यापक	
9. श्री बच्चा प्रसाद	राजनीति शास्त्र	प्राध्यापक	
10. श्री अशोक कुमार	राजनीति शास्त्र	प्राध्यापक	
11. श्री प्रदीप कुमार	शिक्षा शास्त्र	प्राध्यापक	
12. श्री सुधीर सौरभ	शिक्षा शास्त्र	प्राध्यापक	
13. श्री अभिषेक पाण्डेय		पी.जी. लिपिक (प्रबन्धकीय मानदेय)	9839530744
14. श्री अंकित कुमार मिश्र		पी.जी. लिपिक (प्रबन्धकीय मानदेय)	9792620620

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण

नाम	पद	मो.नं.
1. श्री अरूणेश कुमार शुक्ल	कार्यालय अधीक्षक	8009926673
2. श्री देवेन्द्र नारायण तिवारी	आशुलिपिक	9838647432
परिचारकगण		
3. श्री नन्दलाल प्रसाद	परिचारक	9648809545
4. श्री बन्धु	परिचारक	
5. श्री सुधांशु शेखर चौबे	परिचारक	9565346468
6. श्री संतोष कुमार यादव	परिचारक	9721022603
7. श्री सुरेन्द्र शर्मा	परिचारक	9918640041
8. श्री मुन्ना प्रसाद	स्वीपर	6393381018

श्री शक्ति प्रकाश दीक्षित

(मंत्री/प्रबंधक-प्रबंध समिति)

डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र

(प्राचार्य)